भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/24/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 29 जून 2024

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई) - Case No. AD(OI)-22/2024

विषय: चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड के मूल अथवा वहां से निर्यातित "लिक्विड इपोक्सी रेसिन्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. मेसर्स अतुल लिमिटेड ("अतुल"), और मेसर्स हिंदुस्तान स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड ("एचएससीएल") (जो संयुक्त रूप से आवेदक या घरेलू उद्योग है) ने यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 **(सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम)** और यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (प्राधिकारी) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड (संबद्ध देश) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स (संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है और उसने संबद्ध देशों सें संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स है । लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स को थर्मो सेटिंग रेजिन के रूप में उनकी भूमिका के लिए माना जाता है, जो ठोसकारी एजेंट के साथ मिलाने पर एक मैटेरियल बनाते हैं जिसे मजबूत विशेषताओं के साथ उसकी जंग और रसायन प्रतिरोधी विशेषता के लिए जाना जाता है।

4. लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स थर्मो सेटिंग पोलिमर होते हैं जिन्हें कम से कम दो इपोक्स साइड समूहों की उपस्थिति से जाना जाता है जो इपोक्सी रेजिन की संरचना और प्रतिक्रियाशीलता के लिए मूलभूत हैं। लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स के उत्पादन के लिए मुख्य रासायनिक प्रक्रिया एक अल्कलायिंग माध्यम और नियंत्रित तापमान की स्थितियों में एपीक्लोरो हाइड्रीन और बिस्फेनोल - ए के बीच प्रतिक्रिया है। लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स काफी उत्तम यांत्रिक, अधेसिव, डाइ इलेक्ट्रिक, जंगरोधी और रसायन प्रतिरोधी विशेषताओं को उचित क्यूरिंग एजेंटों के साथ मिलाने पर दर्शाती है।

5. लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स कम और उच्च मोलीकुलर भार प्री-पोलिमर के रूप में मौजूद रह सकता है। अपनी पोलिमराइजेशन प्रक्रिया की प्रकृति के कारण लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स विशेष रूप से चेन लंबाईयों की रेंज प्रदर्शित करता है। यद्यपि डिस्टीलेशन शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के जरिए विशिष्ट अनुप्रयोगों हेतु उच्च शुद्धता ग्रेड उल्लेखनीय रूप से प्राप्त करने योग्य हैं। ब्लेंडिंग, एडिटिव ओर फिलर्स के प्रयोग को प्राय: निर्माण कहा जाता है। विचाराधीन उत्पाद में लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स से सभी प्रकार और ग्रेड शामिल हैं जिनमें विभिन्न मोलिकुलर भार, विस्कोसिटी और क्यूरिंग समय शामिल है।

6. लिक्विड इपोक्सी रेजिन्स को व्यापक रूप से संरक्षण कोटिंग, अधेसिव, निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग, सामग्री और जल के भीतर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और संयोजित अनुप्रयोगों में व्यापाक रूप से प्रयोग किया जाता है।

7. पीयूसी को आमतौर पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 3907.3010, और 3907.3090 के अंतर्गत भारत में आयात किया जाता है। तथापि, यह संभव है कि संबद्ध वस्तुओं को अन्य शीर्षों के अंतर्गत आयात किया जाए और इसलिए सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

डीजी सिस्टम्स डाटाबेस से आयात आंकड़ों का पाटन और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उक्त टैरिफ कोडों के लिए आकलन किया गया है।

8. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार पीयूसी तथा पीसीएन के उनके निर्माण के लिए उनके प्रस्ताव संबंधी अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस जांच की शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9 आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में कतिथ रूप से पाटित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है, दोनों उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशनों, कार्य और अंतिम प्रयोगों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों प्रथमदृष्ट्या तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी मानते हैं कि इन दोनों को एडी नियमावली के अंतर्गत ''समान वस्तु'' माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड हैं।

घ. <u>जांच की अवधि</u>

11. प्राधिकारी ने 1 जनवरी, 2023 - 31 दिसंबर, 2023 (12 महीने) की अवधि पर जांच अवधि अर्थात पीओआई के रूप में विचार किया है। क्षति अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और पीओआई शामिल है।

ड. घरेलू उद्योग और स्थिति

12. यह आवेदन अतुल और एचएससीएल द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने बताया है कि आवेदकों के अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("ग्रासिम") एक मात्र अन्य घरेलू उत्पादक है। आवेदकों ने दावा किया है कि ग्रासिम ने पीओआई के दौरान और क्षति अवधि के दौरान आदित्य बिड़ला केमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी, थाईलैंड जो थाईलैंड में पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है, से भारी मात्रा में पीयूसी का आयात किया है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ग्रासिम को कतिपय इपोक्सी रेजिन्स के आयातों से संबंधी पूर्ववर्ती जांच में आदित्य बिड़ला केमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी से संबंधित माना गया था।

13. उक्त के अलावा, डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़ों से उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रासिम द्वारा किए गए आयात, कुल भारतीय मांग और संबद्ध देशों में उत्पादन और आयातों की दृष्टि से काफी अधिक हैं। इसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	आयात मात्रा (एमटी)	कुल मांग (आबद्ध के बिना) - एमटी	कुल आयात-एमटी	मांग का %	कुल आयात का %	उत्पादन का %
वित्त वर्ष 2021-22	****	****	****	0-5%	0-5%	0-5%
वित्त वर्ष 2022-23	****	****	****	0-5%	10-15%	0-5%
पीओआई	****	****	****	0-5%	15-20%	0-5%

स्रोत: डीजी सिस्टम्स के आंकड़ें

14. उक्त के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रासिम क्षति अवधि के दौरान पीयूसी का नियमित आयातक रहा है और उसने संबंधित पक्षकार से पीओआई के दौरान पीयूसी का भारी मात्रा में आयात किया है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत ग्रासिम को अपात्र घरेलू उत्पादक मानने का प्रस्ताव करते हैं।

15. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदकों ने बताया कि पीओआई या क्षति अवधि में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है।

16. रिकार्ड में सूचना से यह देखा गया है कि आवेदकों का भारत में समान वस्तु के पात्र घरेलू उत्पादन में प्रमुख अर्थात 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है। उपलब्ध सूचना के आधार प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन एडी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

क) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए है और इसलिए चीन के उत्पादकों से यह दर्शाने को कहना चाहिए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद है तब तक उनका सामान्य मूल्य एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पैरा 7 के अंतर्गत किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश के लिए सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत या भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित करना अपेक्षित है।

18. जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर उसने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है।

ख) अन्य संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमत संबंधी साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके थे। इसके अलावा, आवेदकों ने बताया है कि पीयूसी का कोई समर्थित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है। अत: वे समुचित तीसरे देश (देशों) के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि निर्यात कीमत के रूप में विचार किए जाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से निर्यात आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। अत: आवेदक ने घरेलू उद्योग के खपत मांग के आधार पर प्रतिनिधि देशों में विनिर्माण की प्रतिनिधि लागत के आधार पर उसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

निर्यात कीमत

20. आवेदकों ने बाजार आसूचना के अनुसार भारत में आयातों के आधार सूचित सीआईएफ कीमत को अपनाया है। प्रथमदृष्ट्या आकलन के प्रयोनार्थ कारखाना द्वार स्तर पर पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़े अपनाए गए हैं। कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, संभलाई प्रभार, समुद्री भाड़ा, डीलर का कमीशन, बैंक प्रभार और ऋण लागत के लिए कीमत समायोजित की गई है। निर्यात कीमत के संबंध में ऐसे पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं जो जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

पाटन मार्जिन

21. ऊपर यथा उल्लिखित निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात पर विचार करते हुए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

22. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदकों ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से पाटित आयातों

की मात्रा में वृद्धि के रूप में कथित पाटन, घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती और कीमत न्यूनकारी और ह्रासकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि उनके निष्पादन में घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर पीयूसी के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लाभप्रदता, निवेश पर आय, बाजार हिस्सा के संबंध में उनका निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों के पाटन के कारण हुई है।

23. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि आयातों के कारण संबद्ध देशों में भारी अतिरिक्त क्षमताओं और कीमत ह्रास पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति का खतरा है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

24. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और विचाराधीन उत्पाद पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध से संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

25. एडी नियमावली के नियम 6 में यथा उल्लिखित सिद्धांतों वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

26. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, adv16-dgtr@gov.in,

और adg16-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच के संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. <u>समय सीमा</u>

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in, adv16-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या निर्यातक देश से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

32. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसमें संलग्न परिशिष्ट / अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय तथा अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

33. "गोपनीय या अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या "अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

34. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे की अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों / उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से मना करता है और तर्कसंगत अवधि के भीतर अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी